सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2019/01 दर्ज तिथिः– 04.02.2019

1. सांवरमल पुत्र स्व. चुन्नाराम जाति मेघवाल निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. शिशपाल पुत्र श्री हड़मान जाति मेघवाल निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
2. शिवभगवान पुत्र श्री मामराज जाति मेघवाल निवासी ढाढर तहसील व जिला चूरू
3. (फौत) किशनाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाढर तहसील चूरू
4. जगदीश पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाढर तहसील च जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू राज.

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीगणः– श्री सन्तोष कुमार सैनी
अप्रार्थी सं. 1, 2, 4:– श्री नन्दराम राहड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 07.04.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी गांव हाढर तहसील चूरू का मूल निवासी है तथा अनुसुचित जाति का गरीब कृषक व्यक्ति है प्रार्थी की पैत्रिक कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 3:56 जिसके तीन भाग प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 व 4 में होकर प्रार्थी के खसरा नं. [illegible] के हिस्सा मे आकर जरिए नामान्तरकरण सं. 822 से प्रार्थी का रकबा [illegible] किया गया प्रार्थी के भाई किशनाराम का ख.नं. 999/356 व [illegible] रिकार्ड में अंकन हुआ खसरा भूमि के पूर्व में शिव[illegible] खसरा नम्बर 357 रहा है इसी प्रकार पूर्व में अप्रार्थी सं. 1 शिशपाल पुत्र हड़मान का खेत खसरा नमबर 355 [illegible] जिसने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:48 IST
Reason: SelfAttested

अपने खेत में कुआ निर्माण हेतु ऋण लिया जाकर कुआ का निर्माण ख.नं. 356 की उतरादी पश्चिमी सीमा प्रार्थी के हिस्से की जमीन की सींव को दबाते हुए निर्मित कर लिया तथा पुरानी सींव को आगे पिछे कर प्रार्थी का रकबा कम कर दिया तथा अपनी भूमि मे प्रार्थी की भूमि को दबा लिया इस प्रकार पूर्वी सींव के पड़ोसी शिवभगवान पुत्र मामराज ने भी प्रार्थी की सींव को खिसकार कर आगे सरका कर अपनी भूमि में मिला कर प्रार्थी की भूमि कर कम दी।

2. पुराने समय से पुख्ता सींव नही होने से काश्त के समय झगड़ा फसाद होता रहा है जिसके स्थायी समाधान के लिये प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र सीमा ज्ञान हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय चूरू को प्रस्तुत किया एंव एक प्रति जिला कलेक्टर महोदय को दी जिस पर प्रार्थी को अपना आवेदन ई–मित्र के जरिये राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से दिये जाने का कहने पर प्रार्थी द्वारा अपना आवेदन ई–मित्र के जरिये प्रस्तुत करते हुवे निर्धारित शुल्क भी ई मित्र के माध्यम से जमा कराया।

3. उक्त सीमा ज्ञान के लिए हल्का पटवारी द्वारा लम्बे समय पश्चात मौके पर सीमा ज्ञान हेतु मौके पर जाकर प्रार्थी व आस पास के व्यक्तियो के कृर्षि भूमि का नाप कर प्रार्थी को यह जानकारी दी कि मौके पर उसके रकबे में कुल 9 विस्वा जमीन कम है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अपने रकबा के पूर्वी पड़ोसी शिवभगवान व पश्चिम पड़ौसी शिशपाल को निवेदन किया कि उसकी खेत की भूमि का कुछ रकबा उन द्वारा सींव को आगे पिछे कर दबा लिया है जो पेमाईश कर सही करने का निवेदन किया लेकिन उपरोक्त अप्रार्थी सं. 1 व 2 पेमाईश कराने से इन्कार हो गये तथा झगड़ा फसाद करने पर आमदा हो गये बाद में पटवारी हल्का द्वारा पेमाईश कर तहसीलदार अप्रार्थी सं. 5 को रिपोर्ट प्रस्तुत की नकल प्राप्त कर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को कहा लेकिन वे नही माने तथा भूमि का नाप कराने से बमुकाम ढाबर में दिंनाक 11.1.19 को इन्कार हो गये जो वाद का कारण रहा है।

4. प्रार्थी रबी की फसल के लिए दक्षिण पड़ोसी के कुआ से पानी लेकर हर साल फसल करता है अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा विवाद करने के कारण उक्त फसल इस वर्ष काश्त नही कर पाया चूंकि आगे खरीफ फसल का समय आने से सीमाकंन को लेकर अप्रार्थीगण विवाद कर सकते है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के पास अपने रकबा की सीमा ज्ञान तथा पत्थरगढी जरिए न्यायालय आदेश करवाये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होनें से प्रार्थनापत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत करना लाजमी हो गया है।

5. प्रार्थी गांव ढाढर का निवासी होने से तथा वादगत रकबा ढाढर कस्बा की रोही में अवस्थित होने से यह प्रकरण सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को हासिल रहा है तथा यह प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मियाद निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न अनुतोष प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित आदेश फरमाया जावे

(क) जरिये आदेश अप्रार्थी सं. 5 को आदेशित फरमाया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के खेत ख.नं. 355, 357 व 998, 999 व 1000 / 336 की पेमाईश की जा कर प्रार्थी के खाते के अनुसार सीमाकंन व पत्थरगढी का आदेश प्रदान किया जावे।

(ख) जरिये चिर स्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबन्द आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी रकबा खसरा नम्बर 1000 / 3[illegible] किसी प्रकार की दखल अन्दाजी व बेजा हरकत न करे त[illegible] आदेश फरमाया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:48 IST
Reason: SelfAttested

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो कि हितकर प्रार्थी हो अथवा मुफीद हितकर होना पाया जावे या हो जावे जिसकी याचना प्रार्थी न कर पाया हो वो भी प्रार्थी को अप्रार्थीगण से प्रदान कराई जाते हुये प्रार्थी को समस्त हर्जा खर्चा अप्रार्थीगण से प्रदान कराया जावे।

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5 भूमिधारी है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 की ओर से अप्रार्थी सं. 3 का मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 22.10.14 की छाया प्रति पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी सं. 3 के मृत्यु प्रमाण–पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि किशनाराम पुत्र चूनाराम की मृत्यु दिनांक 03.1.2014 को हुई है जबकि प्रार्थी द्वारा मूल प्रा. पत्र दिनांक 29.01.2019 को इस न्यायालय में पेश किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं. 3 किशनाराम इस प्रा. पत्र के प्रार्थी सांवरमल का सगा भाई है इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 3 की मृत्यु की जनकारी प्रा. पत्र पेश करने से पूर्व भलीभांति रही है परन्तु उसके द्वारा जानकारी होने के बावजूद एक मृत व्यक्ति के खिलाफ यह प्रा. पत्र पेश किया है इसलिए प्रार्थी किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। प्रार्थना–पत्र की प्रकृति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का यह प्रा. पत्र बाबत अप्रार्थी सं. 3 के कायम मुकामान को पक्षकार बनाये जाने योग्य नहीं है। वकील अप्रार्थी द्वारा पेश माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों का भी अवलोकन किया गया जिनमें प्रतिपादित सिद्धान्त भी इस प्रकरण में अप्रार्थी सं. 3 की हद तक प्रभावी होते हैं चूंकि इस प्रकरण में अन्य अप्रार्थीगण मौजूद हैं इसलिए उनके खिलाफ अनुतोष प्राप्त करने का प्रार्थी का अधिकार शेष है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.04.2019 को अस्वीकार किया गया। अप्रार्थी सं. 3 की हद तक मूल प्रा. पत्र अबैट किया जाता है। पत्रावली में अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से आदेश 6 नियम 16 का प्रा. पत्र का विचारण उपरांत यह परिलक्षित होता है कि, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद मूलतः सीमांकन/पत्थरगढ़ी संबंधी है, जो कि धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन विचारणीय है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत सीमांकन एवं सीमा निर्धारण से संबंधित राहत ही प्रदान की जा सकती है। अतः स्वीकार किया जाकर वादपत्र में सम्मिलित अनवाश्यक अनुतोष ख, ग हटाने संबंधित कार्यवाही की गई।

7. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए यह निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 से 4 के खेत खसरा नम्बर 355, 357 एवं 998, 999 व 1000/356 की विधिवत पेमाईश कर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार के अनुसार सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही हेतु आदेश प्रदान किया जावे, जिससे भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके तथा पक्षकारों के मध्य चल रहा विवाद समाप्त हो। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही हेतु समस्त आवश्यक एवं प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक है, जबकि वर्तमान प्रकरण में सभी आवश्यक पक्षकार सम्मिलित नहीं हैं, अतः इस स्थिति में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही विधिसम्मत रूप से संपादित नहीं की जा सकती। यह भी निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं. 3 पूर्व में ही अबैट हो चुका है। साथ ही पटवारी रिपोर्ट में प्रार्थी के रकबे में मात्र ल[illegible] संख्या का अंतर दर्शाया गया है, जो अत्यल्प एवं नगण्य होने से [illegible]। अतः प्रार्थना–पत्र को इसी स्तर पर अस्वीकार/खारिज किये जाने योग्य पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:48 IST
Reason: SelfAttested

8. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

9. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

10. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रस्तुत की गई है पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि के सीमांकन संबंधी विवाद का निस्तारण राजस्व अभिलेखों के अनुसार सीमांकन कार्यवाही द्वारा ही संभव है। साथ ही यह भी परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा सीमांकन हेतु प्राथमिक आधार प्रस्तुत किया गया है, जो विचारणीय है। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दी गई, जिसमें भूमि मौके पर [illegible] पत्थरगढ़ी की कार्यवाही धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के [illegible]त [illegible]स्व प्रकृति की कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य केवल राजस्व अभिलेख के अनुसार सीमा [illegible]धारण करना है। मुख्य अप्रार्थीगण द्वारा उठाए गए सह–खातेदारों [illegible] के तर्क इस प्रकरण में सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के आदेश में बाधक नहीं हैं। अतः न्याया[illegible]य इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:48 IST
Reason: SelfAttested

में सीमांकन/पत्थरगढ़ी की कार्यवाही आवश्यक है, किन्तु यह कार्यवाही नियमानुसार सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सभी संबंधित खातेदारों की उपस्थिति में की जानी उचित है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 355, 357 एवं 998, 999 व 1000/356 रोही ढ़ाढ़र पटवार मण्डल चूरू तहसील चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमांकन तक सीमित रहेगा तथा इससे किसी भी पक्ष के स्वामित्व, कब्जा अथवा विभाजन संबंधी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 07.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:48 IST
Reason: SelfAttested